

सम्भागीय कार्यालय उप निदेशक (निर्माण)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

नवीन फल सब्जी मण्डी स्थल उत्तरौला रोड, देवीपाटन (गोण्डा)

पत्रांक:-नि०-देवी०(गोण्डा)/(निविदा प०)/2026- 916

दिनांक:- 13-03-26

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

मण्डी परिषद, निर्माण खण्ड, देवीपाटन (गोण्डा) के अन्तर्गत जनपद गोण्डा, के विभिन्न मण्डी क्षेत्रान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित सम्पर्क मार्गों के गड़ढामुक्तिकरण योजनान्तर्गत मरम्मत कार्य हेतु (05 वर्षीय अनुरक्षण सहित) वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं अनुभवी मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से ई- निविदा दिनांक:- 07.04.2026 को आनलाइन आमंत्रित की जाती है। आनलाइन निविदा वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक:-23.03.2026 को प्रातः 10 बजे से दिनांक:-06.04.2026 को सायं 5.00 बजे तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है। निविदा की तकनीकी विड दिनांक:-07.04.2026 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। वांछित संख्या में तकनीकी विड उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त ही वित्तीय विड इस कार्यालय में खोली जायेगी। उक्त निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने एवं अपरिहार्य कारण होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस में उक्त निर्धारित समय के अनुसार ही तकनीकी विड व वित्तीय विड खोली जायेगी। कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	निविदा शुल्क (जी०एस०टी० सहित)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	कार्यपूर्ण करने की अवधि (माह)	निविदा हेतु अधिकृत ठेकेदारों की श्रेणी
मण्डी समिति, गोण्डा के क्षेत्रान्तर्गत						
1.	सं०मार्ग गोण्डा उत्तरौला मार्ग पर विवेकानन्द स्कूल से होते हुए बभनी कानूनगो सतई पुरवा तक का मरम्मत कार्य (ल०-2.50किमी०) (Tender ID: 2026_RKUMP_1125427_1)	62.53	11,092.00	5.13	05 माह	A,B,C
2	सम्पर्क मार्ग मनोरहमा से दुल्हापुर देवभारी का मरम्मत कार्य। (ल०-1.50किमी०) (Tender ID: 2026_RKUMP_1125428_1)	23.61	4,248.00	2.37	04 माह	A,B,C,D
मण्डी समिति करनैलगंज के क्षेत्रान्तर्गत						
3	सम्पर्क मार्ग जरवल रोड तिराहे से कसमड़ा ग्राम तक का मरम्मत कार्य। (ल०-1.90किमी०) (Tender ID: 2026_RKUMP_1125429_1)	30.12	5,428.00	3.02	04 माह	A,B,C,D
4	सम्पर्क मार्ग विहुरी से विहुरीडीह तक का कार्य (ल०-0.50किमी०) (Tender ID: 2026_RKUMP_1125431_1)	8.28	1,770.00	0.83	03 माह	A,B,C,D
5	सम्पर्क मार्ग झुकिया से अटवा व गुलामपुरवा होते हुये सोतीनाला ग्राम तपेसिया बन्धा तक का मरम्मत कार्य। (ल०-1.00किमी०) (Tender ID: 2026_RKUMP_1125432_1)	17.86	3,186.00	1.79	03 माह	A,B,C,D
मण्डी समिति नवाबगंज के क्षेत्रान्तर्गत						
6	सं० मार्ग बहादुरपुर तक का मरम्मत कार्य (ल०-1.25किमी०) (Tender ID: 2026_RKUMP_1125433_1)	17.65	3,186.00	1.77	03 माह	A,B,C,D
7	सम्पर्क मार्ग धनेश्वरपुर से करदा तक का मरम्मत कार्य (ल०-1.40किमी०) (Tender ID: 2026_RKUMP_1125434_1)	22.97	4,130.00	2.30	04 माह	A,B,C,D

कमशः अगले पृष्ठ पर

आवेदन

(2)

8	सम्पर्क मार्ग महादेवा से महादेवा खास तक का मरम्मत कार्य। (ल0-0.96किमी0) (Tender ID: 2026_RKUMP_1125436_1)	22.75	4,130.00	2.28	04 माह	A,B,C,D
9	सम्पर्क मार्ग गोण्डा फ़ैजाबाद मार्ग पर बालपुर से मीरपुर युसूफ का मरम्मत कार्य (ल0-0.75 किमी0) (Tender ID: 2026_RKUMP_1125437_1)	9.74	1,770.00	0.98	03 माह	A,B,C,D

- 1- निविदादाता निविदा शुल्क की धनराशि का मूल्य (जी0एस0टी0 सहित) उपनिदेशक (निर्माण) के खाता भारतीय स्टेट बैंक की शाखा (नवीन फल एवं सब्जी मण्डी स्थल) गोण्डा के खाता संख्या **30394521872** आई0एफ0एस0सी0 कोड कोड संख्या **SBIN0014612** जो उप निदेशक (निर्माण) के नाम नेफ्ट/आर0टी0जी0एस0 कराना होगा। निविदा शुल्क की धनराशि नान रिफन्डेबल है, एवं धरोहर धनराशि जमानत खाता संख्या **30394522015** आई0एफ0एस0सी0 कोड संख्या **SBIN0014612** जो उप निदेशक (निर्माण) के नाम नेफ्ट/आर0टी0जी0एस0 कराना होगा, जिसका बैंक से सत्यापित निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि का यू0टी0आर0 नम्बर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 2-निविदा से सम्बन्धित सभी नियम एवं शर्तें तथा अन्य विवरण आनलाइन निविदा वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से डाउनलोड की जा सकती है या कार्यालय में कार्यालय समय से देखी जा सकती हैं।
- 3-लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या 3689सी-UPRML/मूल/2023 दिनांक 17.02.2024 के अनुसार सम्पर्क मार्ग के कार्यों में 05 वर्षीय अनुरक्षण हेतु भुगतान प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
- 4-ई-निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
- 5-क0 सं0-1, 2, 3, 6 एवं 7 पर अंकित सम्पर्क मार्ग पर प्रिमिक्सिंग एवं सीलकोट का कार्य हाटमिक्स से एवं शेष पर प्रिमिक्सिंग एवं सीलकोट का कार्य मिक्साल द्वारा कराया जायेगा।

13/03/24
उप निदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, देवीपाटन (गोण्डा)
D1702

(3)
प्रकाशन हेतु नहीं।

नियम व शर्तें-

1. वांछित श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
2. निविदा मूल्य/वांछित धरोहर धनराशि का विवरण (नेफ्ट/आर0टी0जी0एस0) दिनांक राहित अपलोड करना होगा।
3. परफारमेन्स गारन्टी नियमानुसार देय होगी।
4. कोषागार से जारी रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर के साथ रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट लगाकर जमा करना अनिवार्य है।
5. श्रम विभाग में सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण टेण्डर अपलोड करते समय लगाना होगा एवं अनुबन्ध गठन के 15 दिन के अन्दर श्रमिकों का लेबर सेस अनुबन्धवार पंजीकरण कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. समस्त कर एवं श्रम विभाग के नियमों के अनुसार कटौती ठेकेदार के देयकों से की जायेगी।
7. वेबसाइट WWW.etender.up.nic.in से डाउनलोड किये गये फार्म में किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में कार्यालय में अनुरक्षित निविदा फार्म की मूलप्रति ही मान्य होगी।
8. ई-निविदा की वैधता 3 माह होगी तथा एक या समस्त ई-निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, देवीपाटन (गोण्डा) को होगा।
9. फाइनेशियल बिड खुलने के बाद प्रथम न्यूनतम निविदादाता को वेबसाइट पर अपलोड किये गये शपथ-पत्र इत्यादि प्रपत्र मूलरूप में कार्यालय में तत्काल जमा किया जाना अनिवार्य है।
10. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी, जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए दो वर्ष से कम अवधि पूर्ण की हो, ई-निविदा डालने का अधिकार नहीं होगा।
11. शासनादेश संख्या 4435/छ:-पु- 14-06-50(7)/2006 दिनांक 02.11.2016 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र एवं रू0 100.00 से स्टैम्प पेपर पर भरकर प्रारूप टी-6 के रूप में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में निविदा प्रपत्र में प्राविधानित पर्चार्ट के अनुसार कराया जाये, कार्य समाप्ति की तिथि तक यदि कार्य पूर्ण नहीं होता है जो निविदा प्रपत्र (T-1 & T-2) में प्राविधान के अनुसार अर्थदण्ड लगाया जायेगा।
13. निर्माण कार्य सम्बन्धित मण्डी समिति को हस्तान्तरित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। हस्तान्तरण प्रपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अन्तिम देयक का निस्तारण किया जायेगा।
14. मण्डी निदेशक के आदेश संख्या. 1235 दिनांक 15.07.2003 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले खनिज पर रायल्टी की कटौती ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार की जायेगी। निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिज की रायल्टी प्रपत्र न प्रस्तुत करने की दशा में खनिज विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार बिल से कटौती कर ली जायेगी।
15. जी0एस0टी0 पंजीकरण एवं पैन कार्ड की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
16. सीमेन्ट, सरिया एवं बिटुमिन (IOCL/BPCL/HPCL) ठेकेदार द्वारा स्वयं क्रय कर प्रयोग करना होगा तथा बिल की मूल प्रति कार्यालय में बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं सीमेन्ट एवं सरिया भारतीय मानक संस्थान से प्रमाणित परफारमेन्स नियमानुसार बहु विख्यात कम्पनी का ही प्रयोग किया जायेगा।
17. उ0प्र0 में किसी भी विभाग में काली सूची में नहीं होने एवं अपराधिक रिकार्ड न होने का रू0 10.00 में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
18. उपरोक्त अभिलेख/शपथ पत्र ई-निविदा की वेबसाइट पर टेण्डर डालते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।
19. शासनादेश संख्या 17/2024/सा0-113/23-1- 2024-23-1099/113/2023 दिनांक 16 जनवरी 2024 लोक निर्माण अनुभाग-1, उ0प्र0 लखनऊ के क्रम में मा0 संचालन मण्डल की 170 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मार्गों के नवनिर्माण कार्य हेतु निविदादाता फर्म/ठेकेदार हेतु कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि से 05 वर्ष (पाँच वर्ष) तक अनुरक्षण समय अवधि (Defect Liability Period) रहेगी। कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष तक कोई अनुरक्षण के मद में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। शेष चार वर्षों में नियमानुसार निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अनुरक्षण चार्ज का भुगतान किया जायेगा। पी0एम0जी0एस0वाई योजना के अनुसार 10 प्रतिशत जमानत धनराशि में से 2.50 प्रतिशत धनराशि कार्य पूर्ण होने के 45 दिनों बाद, द्वितीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत एवं शेष 05 प्रतिशत 05 वर्ष पूर्ण होने पर समय-समय पर क्षतिग्रस्त भाग की गुणवत्ता पूर्ण तरीके से मरम्मत कराये जाने पर व कार्य संतोषजनक स्थिति में होने पर ही जमानत धनराशि चरणबद्ध तरीके से अवमुक्त की जायेगी साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यदि गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो अनुबन्ध की शर्तों एवं पंजीकरण नियमावली के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं कोई अनुरक्षण चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा। शासन/मण्डी परिषद लखनऊ द्वारा अनुरक्षण/डिफेक्ट लायबिलिटी से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस सीमा तक आदेश मान्य होगा।

(कमशः-अगले पृष्ठ पर)

20. परिषद पत्रांक:मु0अभि0-2/(1168/भाग-4/2005)/2022-1190 दिनांक:17.11.2022 द्वारा जारी आदेश/निर्देश के क्रम में निविदाओं की पारदर्शिता एवं अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीकृत ठेकेदारों Bid Capacity हेतु standard Bidding Document (S.B.D)में Qualification of Bidders के section 4.6 में दी गयी व्यवस्था निम्नवत् है:-

Bidders who meet the minimum qualification criteria will be qualified only if their available bid capacity for construction work is equal to or more than the total bid value. The available bid capacity will be calculated as under.

Assessed Available Bid Capacity = (AxNxM-B) where

A=Maximum Value of civil Engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the @ 8% a year) taking into account the completed as well as works in progress.

N=Number of years prescribed for completion of the works for which tenders are invited.

(Period upto 6 months to be taken as half-year and more than 6 month as one year)

M= is taken 2.0

B=Value, at the current price level, of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the work for which bids are invited.

Note- If the bidder participates in more than one bid, the bid capacity for the second bid shall be calculated by deducting the work cost of first bid.

21. कार्यों की मात्रा में आवश्यकतानुसार विचलन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। जिसके लिए निविदादाता बाध्य होगा।
22. ठेकेदार अपने खर्च पर सभी सामग्री के दैनिक परीक्षण करने के लिए एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित करेगा। ठेकेदार अपने सभी प्रयोगशाला उपकरणों की गुणवत्ता अभियन्ता की सूची प्रस्तुत करेगा जो प्रभारी अभियन्ता के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।
23. विस्तृत विवरण तथा अन्य नियम व शर्तें कार्यालय एवं बिडिंग डाक्यूमेंट में देखी जा सकती है निविदा हेतु सिस्टम तकनीकी समस्या होने अथवा किसी प्रकार के विलम्ब के लिए मण्डी परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
24. पृथक-पृथक कार्यों हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।
25. उपरोक्त निविदाओं में 40.00 लाख से अधिक के कार्य पर 05 प्रतिशत धरोहर/जमानत धनराशि का प्राविधान किया गया है, अवशेष धनराशि निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त अनुबन्ध गठन के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
26. मार्गों में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित पुलिया के निर्माण हेतु स्थान चिह्नित किया जायेगा तथा स्टोन बैलास्ट की बिछाई से पूर्व ही पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाये। ह्यूम पाइप से निर्मित पुलिया में कम से कम 60 सेमी0 मिट्टी कुशन अवश्य रखा जाये। यदि कुशन कम आता है तो कैचपिट बनाकर 60 सेमी0 ही रखा जाय जिससे ह्यूम पाइप टूटने की सम्भावना न रहे।
27. प्रस्तावित मार्ग में कैम्बर 2 प्रतिशत से 2.50 प्रतिशत के मध्य रखा जाये तथा मार्ग के दोनो ओर मिट्टी से निर्मित साइड पटरी में 1:2 का स्लोप दिया जाये।
28. सम्पर्क मार्ग के अन्तर्गत कर्व भाग में आवश्यकतानुसार मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाये एवं निर्धारित मानक के अनुसार सुपर एलिवेशन बनाया जाये।
29. सम्पर्क मार्ग की सतह के समतलीकरण, कैम्बर प्राविधान एवं साइड पटरी के निर्माण हेतु मिट्टी कटिंग का कार्य इस प्रकार कराया जाये कि मार्ग के दोनो साइड में कच्ची ड्रेन बन जाये।
30. कार्यों के निर्माणाधीन क्षेत्र में अन्य सूचना पट तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है आदि आवश्यक सूचनाओं भी व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये। सूचना पट पर ठेकेदार का मोबाइल नम्बर अंकित किया जाये।

31. नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल (एन0जी0टी0) के निर्देश के अनुरूप पोल्यूशन कन्ट्रोल के समस्त मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
32. सम्पर्क मार्ग के निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु सीमेन्ट एवं मैक्सफाल्ट की व्यवस्था के सम्बन्ध में परिषद आदेश पत्रांक मु0अभि0(2016)/2016-990 दिनांक 25.07.2016 में निर्धारित निर्देशों का अनुपालन किया जाये।

पृष्ठांकन एवं दिनांक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित मा0 विधायक जी।
2. निजी सचिव, निदेशक/अपर निदेशक, मण्डी परिषद, उ.प्र. लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, गोण्डा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
5. अपर जिलाधिकारी (वि0/राजस्व), गोण्डा। (अध्यक्ष निविदा स्वीकृति समिति)
6. मुख्य कोषाधिकारी/अधिसासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, गोण्डा। (सदस्य निविदा स्वीकृति समिति)
7. मुख्य अभियन्ता (ग्रेड-2)/संयुक्त निदेशक, निर्माण, (जोन-4), मण्डी परिषद, उ.प्र.।
8. वित्त-नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, मण्डी परिषद, उ.प्र. लखनऊ।
9. उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, अयोध्या।
10. सिस्टम मैनेजर, मण्डी परिषद लखनऊ को उपरोक्तानुसार आमंत्रित निविदा की बेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
11. समस्त उपनिदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, उ.प्र.।
12. सचिव/सभापति, मण्डी समिति, गोण्डा/करनैलगंज/नवाबगंज।
13. सम्बन्धित अवर अभियन्ता/संगणक, मण्डी परिषद, निर्माण खण्ड, देवीपाटन (गोण्डा)
14. सहायक लेखाधिकारी/लेखालिपिक, मण्डी परिषद, देवीपाटन (गोण्डा)।
15. वांछित श्रेणी के समस्त पंजीकृत ठेकदार।
16. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

उपनिदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, देवीपाटन (गोण्डा)

उपनिदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, देवीपाटन (गोण्डा)